न्यायालय अवर न्यायाधीश
सोनपुर, सारण।

हकियत वाद सं0– 500 सन् 2004

मुस्मात सोमारो कुंअर व अन्य...........वादीगण
बनाम
मुस्मात फुलझरी कुंअर व अन्य........प्रतिवादीगण

दिनांकः–
01.02.2020

वादी की ओर से हाजिरी दी गई है, प्रतिवादीगण अनुपस्थित है।

आदेश

वादी की ओर से दिनांक 16.11.2019 को एक प्रतिस्थापना आवेदन दाखिल किया गया है। जिसमें वादी का कथन है कि इस वाद में वादी सं0 2 मिश्री लाल शर्मा अपने जायज वारिसान एक लड़के दिलीप शर्मा व अपने पत्नी सोमारो कुंअर तथा अपने तीन पुत्रियां बहारन देवी, मुनाई देवी व आशा देवी को छोड़कर दिवंगत कर गए और उनकी संपत्ति पर उनके वारिसान काबिज दखिल हुए।

न्यायाहित में मृतक वादी सं0 2 मिश्री लाल शर्मा के स्थान पर उनके वारिसानों के नाम जोड़ा जाना आवश्यक है अतः निवेदन है कि वादी सं0 2 मिश्री लाल शर्मा के स्थान पर उनके निम्नलिखित वारिसानों के नाम प्रतिस्थापित करने का आदेश दिया जाए।

वारिसानों के नाम–

वादी सं0 2– दिलीप शर्मा वल्द स्व0 मिश्री लाल शर्मा।

वादी सं0 2 (क) – मुस्मात सोमारो कुंअर जौजे– स्व0
मिश्री लाल शर्मा।

वादी सं0 2 (ख) – बहारन देवी जौजे– राजकुमार शर्मा
विनित, स्व0 मिश्री लाल शर्मा।

वादी सं0 2 (ग) – मुनाई देवी जौजे– विजय शर्मा
विनित, स्व0 मिश्री लाल शर्मा।

वादी सं0 2 (घ) – आशा देवी जौजे– शैली कुमार शर्मा
विनित, स्व0 मिश्री लाल शर्मा।

प्रतिवादीगण की और से उपयुक्त प्रतिस्थापन आवेदन का कोई प्रतिउत्तर दाखिल नहीं किया गया है। विगत तिथि को वादी की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि इस वाद में वादी सं0 2 मिश्री लाल शर्मा को पक्षकार बनाया गया है, जिनकी मृत्यु के संबंध में यह प्रतिस्थापना आवेदन दाखिल किया गया है।

वादी की ओर से दाखिल प्रतिस्थापना आवेदन समय सीमा के भीतर है अतः न्यायहित में वादी की ओर से दाखिल आवेदन को स्वीकार किया जाता है। वादी को निर्देश दिया जाता है कि वे समय सीमा के भीतर मृत वादी सं0 2 मिश्री लाल शर्मा का नाम वादपत्र से काट्कर उनके स्थान पर उनके वारिसानों का नाम प्रतिस्थापित करें।

वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक– 15.02.2020

सब जज
सोनपुर सारण।